

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

प्रारूप -6 *

(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

सेवानिवृत्ति-आदेश

निम्नांकित कार्मिक जो व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) के रूप में उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय/संस्था में कार्यरत है को अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेने पर (सेवानिवृत्ति की तारीख) से सरकारी सेवा से कॉलम संख्या-5 की दिनांक से सेवानिवृत्त किया जाता है-

क्र. सं.	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान (राउमावि/ राबाउमावि)	विषय	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	श्रीमती कमलेश कुमारी सचदेवा, राबाउमावि बड़ोदा मेव लक्ष्मणगढ अलवर	गृह विज्ञान	05.01.1958	31.01.2018

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित व्याख्याताओं के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-19 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक:- 16/08/2017

क्रमांक:-शिविरा/मा/संस्था/सी-4/15601/सेवानिवृत्ति/17-18/
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. संबंधित संयुक्त निदेशक,पेंशन विभाग राजस्थान जयपुर
2. संबंधित उपनिदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग अलवर
3. संबंधित उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, अलवर
5. संबंधित संस्था प्रधानाचार्य को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याताओं से कोई न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है का दस रूपये के स्टाम्प पर निर्धारित प्रपत्र-6 प्राप्त कर अंतिम अद्वैय प्रमाण पत्र जारी करें।
6. संबंधित प्राध्यापक श्रीमती कमलेश कुमारी सचदेवा,
7. सिस्टम एनालिसिस्ट,कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ
8. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर